बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में गुणात्मक शिक्षा के मद्देनजर सरकार द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु सेवानिवृत शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान इस आधार पर किया गया कि उनके अध्ययन-अध्यापन का लाभ छात्र-छात्राओं को निर्बाध रूप से मिल सके।

उपरोक्त निर्णय के विपरीत अब कार्यरत शिक्षकों जिनकी सेवा निवृति की आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है, उन्हें ज़बरिया सेवानिवृति दिये जाने का निर्णय लिया जा रहा है जो बहुत ही आपत्तिजनक है।

अत: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु सर्वप्रथम शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कये जाने तथा उक्त वर्णित विवादास्पद निर्णय वापस करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

1. ह./- संजीव कुमार सिंह,स.वि.प.
2. ह./- केदार नाथ पाण्डेय,स.वि.प.
3. ह./- संजय कुमार सिंह,स.वि.प.
4. ह./- नवल किशोर यादव,स.वि.प. एवं
5. ह./- दिलीप कुमार चौधरी,स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 218/2017– 1848 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

अंचल कार्यालय लौरिया, जिला- पश्चिमी चंपारण द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संख्या-1 दिनांक- 02.01.2014 के अनुसार राजकुमार शुक्ल इंटर महाविद्यालय, सतवरिया, चनपटिया जिला-पश्चिमी चंपारण के श्री मणिभूषण राय मुख्य एवं जीवित दानदाता हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आदेशानुसार राजकुमार शुक्ल इंटर महाविद्यालय, सतवरिया के लिए गठित तदर्थ प्रबन्ध समिति द्वारा निदेशक (शैक्षणिक) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को भेजे गए पत्रांक- 27/17 दिनांक- 17.07.2017 द्वारा भी श्री मणिभूषण राय को सबसे बड़े दानदाता एवं एकमात्र जीवित दानदाता के रूप में मान्यता दी गई है। परन्तु इस महाविद्यालय के दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कुछ कर्मचारियों की सांठ-गांठ कर इस महाविद्यालय को राजनीति एवं विवाद का अड्डा बना दिया गया है और मुख्य दानदाता की अध्यक्षता में समिति नहीं गठित होने दिया जा रहा है। विवाद के कारण इस वर्ष 478 छात्रों को परीक्षा में भ्जी नहीं बैठने दिया गया। महाविद्यालय को अराजक स्थल बनाकर रख दिया गया है। जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चंपारण द्वारा साठी थाना में दायर करवाए गए एफ.आई.आर. संख्या- 79/17 दिनांक- 08.05.2017 में भी जांच लंबित है। महान स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के परिजनों द्वारा शिक्षा के लिए 2.26 एकड़ अपनी निजी जमीन बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम दान में दी गई थी, परन्तु शिक्षा माफियाओं द्वारा उनके नाम को भी कलंकित किया जा रहा है।

अत: मुख्य जीवित दानदाता की अध्यक्षता में प्रबन्ध समिति का गठन करने, महाविद्यालय में बरती जा रही अराजकता पर रोक लगाने, इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों को कानून के अनुसार सजा देने एवं 478 छात्रों के परीक्षा में बैठने देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजकिशोर सिंह कुशवाहा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 219/2017-1851(1)-/ वि.प.। पटना, दिनांक: 21.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से पिछले दो वर्षों से पटना में किन्नर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। समाज के तृतीय समुदाय (थर्ड जेंडर) को सम्मानित करने की दृष्टि से यह एक सराहनीय कदम है। इससे इनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पूर्व अपने एक न्याय-निर्णय में इस समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए पहल करने का निदेश दिया है।

अत: मैं किन्नर समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करने के लिए सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रामवचन राय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 220/2017– 1850 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

21/8/17
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार राज्य अभिलेखागार (मंत्रिमंडल सचिवालय) में पुराभिलेखपाल के पद पर वर्ष 2010 से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2016 में स्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। बिहार राज्य अभिलेखागार (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) के दिनांक- 13 फरवरी, 2014 के प्रकाशित बिहार गजट में संविदा पर कार्यरत कर्मी के लिए उम्र की गणना नियुक्ति की तिथि को आधार बनाया गया है एवं कार्यरत कर्मी के लिए 25 अंक की अधिमानता दी गयी है। जबकि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए उम्र की गणना विज्ञापन की तिथि से की जाती है। गजट में आंशिक संशोधन हेतु फाइल संख्या- सा.प्र.- 05/2014 विभाग में अभी तक लंबित है। कार्यरत कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति में भी बाधा हो रही है।

अत: बिहार गजट में संशोधन कर नियोजित कर्मियों की स्थायी नियुक्ति करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सी.पी. सिन्हा, स.वि.प.
ह./- उपेन्द्र प्रसाद, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 234/2017– 1864 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखंड स्थित भगवान भाष्कर महिला उत्थान समिति के अधीन संचालित महिला इंटर कॉलेज मुडिला की स्थापना 1993 में श्री राणा प्रताप सिंह एवं श्रीमती मालती सिंह के द्वारा की गई है और स्थापना काल से प्रबंध समिति द्वारा यह कॉलेज सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, लेकिन वर्ष 2012 में उक्त कॉलेज के कार्यरत शिक्षक दिनेश कुमार सिंह एवं श्री दिलीप कुमार सहायक श्री आलोक कुमार सिंह को वित्तीय अनियमितता के आरोप में शासी निकाय एवं प्रबंधन समिति द्वारा निलम्बित कर जांचोपरान्त उन्हें बर्खास्त कर दिए जाने पर कॉलेज कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाने लगा, जिसकी सूचना प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री राणा प्रताप सिंह द्वारा D.E.O., S.D.O., D.M. एवं S.P. औरंगाबाद को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप यह मामला पटना उच्च न्यायालय में चला गया। पटना उच्च न्यायालय में दायर इस याचिका सं.- 1945/2014 के न्याय निर्णय में कॉलेज कार्य में बाधा नहीं पहुंचाने और कोई विवाद न होने की बात कही गई है तथा स्थायी मान्यता की पुष्टि की गई है। फिर भी मा. उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर कॉलेज के तत्कालीन सचिव श्री श्रीनिवास तिवारी ने तदर्थ समिति गठित करने हेतु श्री ओम प्रकाश सिंह, प्राचार्य, एस. सिन्हा कॉलेज को भार सौंप दिया है और वे पूर्व की कमिटी को बगैर भंग किए ही तदर्थ समिति गठित कर कॉलेज का अस्तित्व खत्म करने पर तुले हुए हैं। ज्ञातव्य है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संशोधित 2013 के विनियम-17 (9) के निहित प्रावधान में गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित कॉलेज में तदर्थ समिति गठन करने की शक्ति प्रदत्त नहीं है।

अत: मैं सरकार से उक्त वर्णित कॉलेज की तदर्थ समिति को भंग करने तथा न्यायालय एवं परीक्षा समिति के नियम के प्रतिकूल तदर्थ समिति गठन करने वाले प्राचार्य एस. सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद (डॉ. ओम प्रकाश सिंह) पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नवल किशोर यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 221/2017– 1844 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

गोपालगंज जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित मठिया नेचुआ जलालपुर में अवस्थित महेंद्र दास महाविद्यालय 1984 से स्थापित है जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय है।

विषयांकित महाविद्यालय में अधिकतर छात्र-छात्राएं गरीब तबका से जाते हैं यह महाविद्यालय मूल भूत सुविधाओं से परिपूर्ण है। विगत कई वर्षों से इस महाविद्यालय में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में लगातार लगभग 5000 से अधिक छात्रों का पंजीयन जयप्रकाश विश्वविद्यालय करता रहा है, जिससे इस क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होती थी। विगत वर्ष के अनुरूप वर्ष 2014 में भी कॉलेज में लगभग 5000 छात्रों का पंजीयन विश्वविद्यालय के सहमति से किया गया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-6297 आर, दिनांक- 11.03.2015 के आदेश के अनुरूप में 5000 छात्रों का पंजीयन कॉलेज में जमा किया।

तत्कालीन कुलपति डा. डी.के. गुप्ता के द्वारा प्रतिवर्ष के अनुरूप 2014-15 सत्र में कॉलेज प्रशासन के द्वारा बिना कारण बताए दिनांक- 26.02.2016 को 3500 छात्रों का पंजीयन शुल्क आर.टी.जी.एस के माध्यम से कॉलेज के खाते में लौटा दिया गया। पंजीयन वापस होने से 3500 छात्रों का भविष्य अंधकार में है जो बड़े शहरों में अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। बहुत छात्र अपने भविष्य को अंधकार में डूबते देख मानसिक तनाव से ग्रसित हो चुके हैं, छात्र सचिन कुमार पाण्डेय द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश की गयी है। राज्य सरकार द्वारा लगातार गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है और इसमें जयप्रकाश विश्वविद्यालय के गलत कार्य संचालन के कारण 3500 बेकसूर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

अत: मैं उपरोक्त तथ्यों पर सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- आदित्य नारायण पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 222/2017– 1846 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

शिक्षा विभाग की संकल्प संख्या- 220/2007 (1644) दिनांक- 14 नवम्बर, 2013 द्वारा वित्त शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरान्त स्थापना अनुमति/ प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक/ उच्च विद्यालयों, इण्टर कॉलेजों को अनुदान उपलब्ध कराने हेतु नीति का निर्धारण किया गया था। इस क्रम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सरकार के निदेश पर इन संस्थाओं की त्रिस्तरीय जांच करायी गई

स्व मूल्यांकन प्रपत्र पर समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और नाबार्ड से जांच करायी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा था कि सारी जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर डाल दी जाएगी और बार-बार जांच नहीं करायी जाएगी। किन्तु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक- 575 दिनांक- 26 मई, 2017 द्वारा फिर जांच कराने का आदेश निर्गत किया गया है। इससे इन संस्थाओं में दहशत का माहौल बन गया है। उक्त संकल्प में यह भी कहा गया था कि अनुदान का वितरण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समानुपातिक रूप से करते हुए शिक्षकों के खाते में राशि उपलब्ध करायेगी। लेकिन समिति इसका भी पालन नहीं कर रही है।

अत: इस विषय पर सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदार नाथ पाण्डेय, स.वि.प. एवं
ह./- प्रो. संजय कुमार सिंह, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 223/2017– 1845 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के मगध विश्वविद्यालय के 61 डिग्री महाविद्यालयों का संबंधन रद्द कर दिया गया है और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 37 डिग्री महाविद्यालयों को दीर्घीकरण नहीं दिया गया है। मगध विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन रद्द करने का कारण राज्य सरकार द्वारा संबंधन स्वीकृत नहीं होना एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा दीर्घीकरण नहीं देने का कारण महाविद्यालय की जमीन राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री नहीं होना बताया गया है। संबंधन रद्द करने एवं दीर्घीकरण नहीं देने के कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यह फैसला राज्य के 40 प्रतिशत छात्रों का उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था करने के सरकार के संकल्प के विपरीत है।

अत: मैं सरकार से व्यावहारिक प्रक्रिया अपनाते हुए इन महाविद्यालयों का संबंधन बहाल करने एवं दीर्घीकरण देने के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजीव श्याम सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 224/2017– 1847 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यहां उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। इसलिए राज्य सरकार के पत्रांक- 15/एम. 1-197/2014-1457 दिनांक- 24.07.2015 द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा गया कि सामान्य पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति की तरह महिलाओं को भी स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा में नि:शुल्क नामांकन का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। उक्त संदर्भ में पुन: राज्य सरकार के पत्रांक- 843 दिनांक- 11.05.2016 द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, तत्संबंधी पत्र भेजा गया।

राज्य सरकार के पत्र के आलोक में मगध विश्वविद्याल, बोधगया द्वारा विभागाध्यक्ष सभी स्नातकोत्तर विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया और प्राचार्य सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय अन्तर्गत मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को ज्ञापांक- 34/D.S.W./ 16 दिनांक- 02.06.2016 द्वारा सूचित किया गया। इसके बावजूद नालंदा जिला में नालंदा महिला कॉलेज, बिहारशरीफ में लड़कियों से नामांकन शुल्क लेकर नामांकन किया जा रहा है। राज्य सरकार का आदेश एवं मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के आदेश की अवहेलना की जा रही है। आश्चर्य तो इस बात की है कि प्राचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद जान बूझकर आदेश की अवहेलना की जा रही है।

अत: उक्त विषय पर सरकार द्वारा महिलाओं को नि:शुल्क नामांकन कराने का अनुपालन तथा छात्राओं से लिए गए नामांकन शुल्क को वापस करवाने एवं जान-बूझकर सरकार एवं विश्वविद्यालय के आदेश का खुला उल्लंघन करने वाले प्राचार्य पर कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह./- रीना देवी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 227/2017– 1852 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

गया शहर में अवस्थित अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय एक प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय है तथा इसी प्रांगण में अनुग्रह कन्या मध्य विद्यालय भी है। अनुग्रह माध्यमिक कन्या विद्यालय का भवन प्रधानाचार्य के द्वारा किराए पर संजय गांधी महाविद्यालय और एक व्यापारी के परिवार को दे दिया गया है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक- 603, दिनांक- 16.03.2017 के द्वारा जिला पदाधिकारी, गया को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश के बाद भी आज तक खाली नहीं कराया गया है।

अत: बालिकाओं की सुरक्षा एवं सरकारी भवन को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- कृष्ण कुमार सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 207/2017– 1849 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 21.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 25.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।